समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें, अन्य किसी अधिकारी के नाम से नही

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

विषयः लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध / सहयुक्त 165 महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2016-17 व उसके पूर्व के वर्षों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के सापेक्ष शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिक धनराशि प्राप्त किये जाने के की जांच व धनराशि वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, के पत्र संख्या 2852-56, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापनोपरान्त अग्रसारित ऐसे छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन जो सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे, तदोपरान्त भी शिक्षण द्वारा उन्हें विभिन्न कल्याण विभागों से छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति करायी गयी है उन्हें चिन्ह्ति करते हुए ऐसे छात्रों को प्रेषित धनराशि नियमानुसार विभिन्न कल्याण विभागों के विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना संबंधित विभागों को दिनांक 28.02.2018 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में आपकी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 की मांग कराते समय प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विगत वर्षों में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई थी लेकिन वे वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे / संस्थान छोड़ चुके हैं उनकी उक्त वर्ष में भुगतानित धनराशि (छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति) संस्था / छात्र द्वारा विभाग को नियमानुसार वापस कर दी गयी है। आपके संस्थान द्वारा इस सूचना को प्रमाण मानते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित की जानी है। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई सूचना / तथ्य और प्रस्तुत करना है तो दिनांक 05.12.2018 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

अग्रेत्तर यह भी अवगत कराना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय सें सम्बद्ध / सहयुक्त ऐसे शिक्षण संस्थानों जिनकी फीस वर्ष 2016-17 में शिक्षण संस्थान की प्रोफाइल में अधिक शुल्क अंकित किया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या 816, दिनांक 03.02.2018 के द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या

क्रमशः पृष्ठ 2

SCST–9176, दिनांक 17–04–2018 द्वारा उक्त वसूली हेतु आदेशित किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी तक शिक्षण संस्थान/ छात्रों द्वारा वसूली योग्य धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस नही की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः अपेक्षित है कि वसूली योग्य धनराशि सम्बन्धित विभागों में अविलम्ब जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में भू–राजस्व के एरियर के तौर पर उसकी वसूली की कार्यवाही की जायेगी। कृत कार्यवाही से सम्बन्धित विभागों एवं अद्योहस्ताक्षरी को 15 कार्य दिवसों में जमा कराई गई धनराशि की रसीद की प्रमाणित छायाप्रतिलिपि संलग्न कर अवगत करायें।

पत्र संख्याः SC81-1720-1730 दिनांक 22/1/19

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित

1. सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
3. निदेशक समाज कल्याण, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ
4. इंचार्ज, वेबसाइट/ कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को उनके ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 10वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
6. निदेशक अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग, 6वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
7. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, लखनऊ
8. जिला अधिकारी (जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति) लखनऊ
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कल्याण भवन, सर्वोदय नगर, लखनऊ
10. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन, लखनऊ
11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी, कक्ष संख्या 23, कलेक्ट्रेट भवन, लखनऊ

उप कुलसचिव
(छात्रवृत्ति)
कृते कुल सचिव